



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय के द्वारा एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

➤ दिनांक 13.06.2018 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अभियुक्त देवा निषाद पुत्र रामफल निवासी बृजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को नाबालिग से छेड़छाड़ करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 281/2018 धारा 363, 366, 354ए भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.08.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

➤ आज दिनांक 31.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

➤ अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र त्यागी (एस.पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री कृतपाल सिंह एवं पैरोकार म0का0 रीटा, तथा कोर्ट मोहरीर है0का0 793 बिट्टू कुमार का विशेष योगदान रहा ।

